

**(TO BE PUBLISHED IN PART IV OF THE DELHI GAZETTE- EXTRA
ORDINARY) GOVERNMENT OF NATIONAL CAPITAL TERRITORY
OF DELHI LABOUR DEPARTMENT**

Dated: 13/10/2025

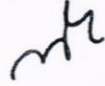
NOTIFICATION

No. F.17 (1430)/DBOCWB/25/3524-3528.....- In exercise of the powers conferred by sub- section (1) of section 18 of the Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Other Conditions of Service) Act, 1996 (27 of 1996) read with rule 251 of the Delhi Building and Other Construction Workers (Regulation of Employment and Conditions of Service) Rules, 2002, and read with the Notification No. U-11020/1/2000-UTL dated the 14th July, 2000 and Notification S.O.3753 (E) dated 02.09.2024 issued by the Ministry of Home Affairs, Government of India, the Hon'ble Lt. Governor of Delhi is pleased to reconstitute the existing Delhi Building and Other Construction Workers Welfare Board consisting of the following persons with effect from the date of notification for a period of three years or till it is reconstituted, namely:-

- | | |
|--|-------------|
| 1. Hon'ble Minister of Labour, GNCTD | Chairperson |
| 2. Nominee of the Central Government | Member |
|
3. <u>Five Members representing the Government.</u> | |
| (i) Secretary, Labour, GNCTD. | Member |
| (ii) Commissioner , Labour, GNCTD | Member |
| (iii) Secretary, Finance, GNCTD | Member |
| (iv) Secretary , Health, GNCTD | Member |
| (v) Principal Secretary, Law, GNCTD | Member |
|
4. <u>Five Members representing the Employers.</u> | |
| (i) Engineer in Chief- PWD | Member |
| (ii) Engineer in Chief- MCD | Member |
|
(iii) Engineer in Chief-DDA | |
| (iv) Additional General Manager (HR), DMRC | Member |
|
(v) Chief Engineer, I&FC, GNCTD | |
| | Member |

05 Members representing the employees of the Building and Other Construction Workers will be notified in due course.

By order and in the name of the
Lt. Governor of the National
Capital Territory of Delhi,



(Ashok Kumar)
Secretary (Labour)
Government of NCT of Delhi

No. F.17 (1430)/DBOCWB/25/3524-3538

Dated: 13/10/2025

Copy forwarded for information to:-

1. The Secretary, Government of India, Ministry of Labour, Shram Shakti Bhawan New Delhi.
2. The Chief Secretary, Government of NCT of Delhi, Delhi Secretariat, New Delhi.
3. The Principal Secretary to the Hon'ble Lt. Governor of Delhi Raj Niwas, Delhi.
4. The Principal Secretary to the Hon'ble Lt. Chief Minister, Govt. of NCT of Delhi.
5. The Secretary to the Minister of Labour, GNCT of Delhi.
6. The Additional Chief Secretary (Finance), Govt. of NCT of Delhi.
7. The Principal Secretary (Law, Justice & Legislative Affairs), Govt. of NCT of Delhi
8. The Vice Chairman, Delhi Development Authority, Vikas Sadan, INA, New Delhi
9. The Commissioner of Municipal Corporation of Delhi.
10. All Members of the Board.
11. The Secretary, DBOCWW Board.
12. Deputy Secretary, GAD, GNCTD for publication in the Extra-ordinary Delhi Gazette Part-IV.
13. Secretary cum Commissioner, Labour, Govt, of NCT of Delhi, 5- Shamnath Marg, Delhi- 110054.
14. A.D. (Planning & Statistics), Govt. of NCT of Delhi, 5- Sham Nath Marg, Delhi- 110054, with request to lay it on table of Delhi Vidhan Sabha.
15. System Analyst, Government of NCT of Delhi, 5, Sham Nath Marg, Delhi -110054, with request to upload it on the website of Labour Department.

(दिल्ली राजपत्र के असाधारण भाग-4 में प्रकाशनार्थ)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

(श्रम विभाग)

दिनांक- 13/10/2025

अधिसूचना

संख्या.- एफ.17.(1430)/बी.ओ.सी.डब्ल्यू./लेब/25-~~2524~~-3528- भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन सेवा तथा सेवा शर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 (1996 का 27) की धारा 18 की उपधारा (1) के साथ पठित दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कामगार (नियोजन सेवा तथा सेवा शर्तों का विनियमन) नियम 2002 का नियम 251 एवं गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिनांक 14 जुलाई 2000 की अधिसूचना संख्या -यू-11020/1/2000 यूटीएल एवं अधिसूचना संख्या एस.ओ.3753(ई) दिनांक -02.09.2024 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दिल्ली के उपराज्यपाल तुरन्त प्रभाव से निम्नलिखित सदस्यों वाले मौजूदा दिल्ली भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड का तीन वर्ष की अवधि अथवा इसके पुर्नगठन तक के लिए गठन करते हैं :-

1. माननीय श्रम मंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार
2. केंद्र सरकार द्वारा नामित व्यक्ति

अध्यक्ष
सदस्य

3. सरकारकाप्रतिनिधित्व करनेवाले 5 सदस्य-

1. श्रम, साचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
2. श्रमायुक्त, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. सचिव, (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
4. सचिव, (स्वास्थ्य), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार
5. प्रधान सचिव, (विधि), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

4. नियोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्य ।

1. इंजीनियर-इन-चीफ, पी.डब्ल्यू.डी
2. इंजीनियर-इन-चीफ, - एम.सी.डी.
3. इंजीनियर-इन-चीफ, डी.डी.ए
4. अतिरिक्त महाप्रबंधक, (एच.आर), डी.एम.आर.सी
5. चीफ इंजीनियर, आईएण्ड एफसी, जीएनसीटीडी

सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य
सदस्य

भवन एवं अन्य सन्निर्माण श्रमिकों के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने वाले 05 सदस्यों को यथासमय अधिसूचित किया जायेगा।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के
उपराज्यपाल के आदेश से तथा उनके नाम पर



(अशोक कुमार)
सचिव (श्रम)

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार

संख्या.- एफ.17.(1430)/बी.ओ.सी.डब्ल्यू./लेब/25/3524-3538

दिनांक :- 13/10/2025

प्रतिलिपि प्रेषित:-

1. सचिव श्रम मंत्रालय भारत सरकार श्रमशक्ति भवन, नई दिल्ली- 110001
2. मुख्य सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
3. माननीय उपराज्याल दिल्ली के सचिव राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
4. सचिव माननीय मुख्यमंत्री, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
5. सचिव माननीय श्रममंत्री, दिल्ली सरकार दिल्ली, आईपी. एस्टेट, नई दिल्ली।
6. प्रधान सचिव (वित्त), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार।
7. प्रधान सचिव (स्वास्थ्य) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
8. उपाध्यक्ष, डी.डी.ए. विकास सदन, आई.इन.ए. नईदिल्ली।
9. आयुक्त, दिल्ली नगर निगम।
10. प्रधान सचिव (विधि, न्याय व विधायी मामले) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार।
11. संबंधित सभी समिति सदस्यों को सूचनार्थ प्रेषित।
12. सचिव, दिल्ली भवन एवं सन्निर्माण श्रमिक कल्याण बोर्ड।
13. समस्त अतिरिक्त श्रमायुक्त / संयुक्त श्रमायुक्त/उपश्रमायुक्त श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को सूचनार्थ प्रेषित।
14. उप-सचिव सामान्य प्रशासन विभाग (समन्वय), राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार को
15. सांख्यिकी अधिकारी (योजना एवं सांख्यिकी) श्रम विभाग, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली, इसे विधान सभा के पटल पर रखें।
16. प्रणाली विश्लेषक, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, 5, शामनाथ मार्ग को इस प्रार्थना के साथ कि वह इस विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करें।